

26/7/19

पञ्जाबी राज्य पेश डूरे।

अपीलाट द्वारा यह अपील अर्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकांक अधिनियम 2005 के तहत पेश का विवेक किया कि लोक सभा कार्यवाही यह नैसर्गिक द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनके सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्दिष्ट करके हेतु विवेक किया गया।

इस न्यायालय के जस्टिस पत्रांक 873 डि 14-6-19 के लिखा जोग पर तहसीलदार के सूची में अवगत कराया कि अपीलाट द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय के जस्टिस पत्रांक राजाध/9 डिग्री 558 डि 24-6-19 के सूचना उपलब्ध कराने जोग का इस न्यायालय को लिखा है।

इस सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। इस लिए इस अपील के संदर्भ के किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। लिहाजा अपील अपीलाट के रूप में जारी है।

पञ्जाबी इस न्यायालय से न्युना फिलाल की जाफ़ नखर से कम है।

जिला कलेक्टर, पानी